न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान ...... सीताराम ...... बनाम ...... कैलाश ......

किस्म मुकदमा ...... धारा-225 (251-अ) ...... अकील संख्या ...... 2024/208 ......

अभिभाषक अपीलान्ट ...... श्री नरेन्द्र सिंह सोमा / श्री हेमन्त शर्मा ...... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
5.5.25	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट को रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में रेस्पो. के नोटिस समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. अभि. अपीलांट द्वारा आदिनांक तक पेश नहीं किया गया है। इस हेतु अभि. अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुदा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय–भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा– केम्प झालावाड

अपील सं. /

सीताराम पुत्र गजानन्द जाति कुल्मी निवासी धरोनिया तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0 .....अपीलान्ट

बनाम

कैलाश पुत्र भवानीराम जाति कुल्मी निवासी धरोनिया तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0 .....रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी विरूद्ध निर्णय दिनांक 31/07/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी एक्ट बउनवान सीताराम बनाम कैलाश

प्रकरण सं. 69/2021

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – अपीलान्ट द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 251 (ए) राज0 टी0 एक्ट पेश किया था जिसमें निवेदन किया था कि ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 658 रकबा 0.1518 हैक्टर कृषि भूमि पर अपीलान्ट की शामलाती खातेदारी की होकर अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे काश्त की है। खसरा नं. 658 पर आने जाने का रास्ता गैर मुमकिन सरकारी रास्ता खसरा नं. 679 से खसरा नं. 673 गैर मुमकिन चाहा दर्ज सरकार में होकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खसरा नं. 657 के दक्षिण दिशा में होकर रहा है। खसरा नं. 673 पंचायती कुईया तक रास्ता मौजूद है। परन्तु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने खसरा नं. 657 के दक्षिण पश्चिम कोने में दो कमरे की दीवार बना ली है एवं रास्ते को हांक कर खेत में मिला लिया है। जिससे अपीलान्ट का रास्ता खसरा नं. 658 में आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है। अपीलान्ट सनातनकाल से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आया है। परन्तु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर रास्ता बन्द कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही मनमाना एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जिससे असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट निम्न अपील विधिवत तौर पर पेश करता है –

सीताराम